प्रेस नोट ***11/06/2026***

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 11.06.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 35 टीम गठित कर जनपद के 43 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 312 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 02 वाहनो को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

थाना रानीपुर, स्वाट/एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या/बलात्कार से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन कर लगातार सुरागरसी पतारसी, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया।

दिनांक 09.06.2026 को शिकायतकर्ता खराऊ चौहान पुत्र स्व0 छांगुर चौहान निवासी संसार पट्टी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ द्वारा दिनांक 09.06.2026 की सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली कि करजौली जंगल में एक लडकी का शव पेड से लटके मिलने के संबंध में थाना रानीपुर में मु0अ0सं0 72/2026 धारा 65(1), 123 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। घटना क्रम के अनुसार दिनांक 08/06/2026 की रात्रि में अभियुक्त द्वारा वादी के बडी बेटी के साथ गलत काम किया था, जिससे क्षुब्ध होकर पीड़िता ने करजौली के जंगल में पेड़ की डाल से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की उसी रात उसके साथी ने वादी की छोटी बेटी के

साथ भी गलत काम की घटना को अंजाम दिया था, जिसके संबंध में थाना रानीपुर पर मु0अ0सं0 072/2026, धारा 65(1), 123 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 3/4 पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है,

दिनांक 11.06.2026 को मुखबिर की सटीक सूचना पर थाना रानीपुर, स्वाट/एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पुर्वाचल अण्डर पास बंधीकला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अभियुक्त प्रिन्स उर्फ शिवम पुत्र बाला निवासी कमलापुर बभनपुरा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया किं वह और वादी की बड़ी लडकी पहले से परिचित थे दिनांक 08.06.2026 की रात्रि में उसने वादी के बडी बेटी के साथ गलत काम किया था, जिससे क्षुब्ध होकर पीड़िता ने करजौली के जंगल में पेड़ की डाल से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके साथ ही उसने यह भी खुलासा किया कि घटना की उसी रात उसके साथी ने वादी की छोटी बेटी के साथ भी गलत काम की घटना को अंजाम दिया था,

अभियुक्तो के विरुद्ध थाना रानीपुर पर मु0अ0सं0 072/2026, धारा 65(1), 123 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 3/4 पॉक्सो (POCSO) एक्ट थाना रानीपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. प्रिन्स उर्फ शिवम पुत्र बाला निवासी कमलापुर बभनपुरा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान –

दिनांक – 11.06.2026, समय – 11:05 बजे ,स्थान – पुर्वाचल अण्डर पास बंधीकला के पास

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 072/2026, धारा 65(1), 123 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 3/4 पॉक्सो (POCSO) एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 316/2024, धारा 304(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) थाना सरायलखंशी जनपद मऊ

" गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त नवीन सिंह उर्फ रिन्कू एवं अन्य द्वारा अपराध से अर्जित लगभग ₹6.80 करोड़ मूल्य की अचल सम्पत्ति धारा 14(1) गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क "

पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में अभियुक्तों द्वारा अर्जित अवैध चल-अचल सम्पत्तियों की पहचान कर विधिसम्मत जब्तीकरण किए जाने हेतु एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। उक्त अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृश राजपूत के पर्यवेक्षण में एक संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर द्वारा सतत सुरागरसी एवं पतारसी की गई। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मु0अ0सं0 30/2026 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना दक्षिणटोला, जनपद मऊ से सम्बन्धित अभियुक्त नवीन सिंह उर्फ रिन्कू एवं उसके गिरोह के सदस्यों द्वारा संगठित एवं समाज विरोधी अपराध कारित कर अवैध रूप से धन अर्जित किया गया तथा उक्त अवैध अर्जित धन से अपने एवं अपने परिजनों के नाम पर अचल सम्पत्तियाँ अर्जित की गयी हैं।

विवेचना एवं जांच के दौरान यह पाया गया कि श्रीमती प्रियंका सिंह पत्नी नवीन सिंह उर्फ रिन्कू के नाम दर्ज गाटा संख्या 43 रकबा 0.17622 हेक्टेयर भूमि तथा श्रीमती माया रानी सिंह पत्नी हरिश्चंद्र सिंह के नाम दर्ज गाटा संख्या 43 रकबा 0.13220 हेक्टेयर भूमि एवं गाटा संख्या 43 रकबा 0.13216 हेक्टेयर भूमि, स्थित मौजा भदेसरा, जनपद मऊ, अपराध से अर्जित धनराशि से क्रय की गयी है। उक्त सम्पत्तियों की संयुक्त चौहद्दी पूरब नाली बादहू श्यामबिहारी सिंह, पश्चिम सरहद सुल्तानपुर उर्फ बनौरा, उत्तर प्लाट फैयाज, अनीस अहमद आदि तथा दक्षिण प्लाट शकीलुर्रहमान आदि है। उक्त सम्पत्तियों का वर्तमान बाजारू मूल्य लगभग ₹6,80,32,000/- (रुपये छः करोड़ अस्सी लाख बत्तीस हजार मात्र) आंका गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विस्तृत पुलिस रिपोर्ट श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, मऊ को प्रेषित की गयी थी। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरान्त न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा वाद संख्या 1391/2026, सरकार बनाम नवीन सिंह उर्फ रिन्कू एवं अन्य (कुल 03 अभियुक्त), सम्बन्धित मु0अ0सं0 30/2026 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना दक्षिणटोला, जनपद मऊ में दिनांक 08.06.2026 को आदेश पारित करते हुए उपरोक्त अचल सम्पत्तियों को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कुर्क किये

जाने का आदेश दिया गया। आदेश के अनुपालन में कुर्की की कार्यवाही नियमानुसार पुलिस एवं राजस्व विभाग द्वारा सम्पन्न कराई गई है तथा तहसीलदार, सदर को उक्त सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है।

जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध यह कार्यवाही शासन की शून्य सहनशीलता नीति के अनुरूप की गयी है। जनपद मऊ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार प्रभावी एवं कठोर कार्यवाही करती रहेगी।